सामान्य नियम और शर्तें

मैं/हमने डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड , जिसका पंजीकृत कार्यालय एक्सप्रेस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 (" डीएमआई " **) में है, द्वारा** मुझे/हमें प्रदान किए गए ऋण के संबंध में इन सामान्य नियमों और शर्तों ("टी एंड **सी** ") को स्वीकार कर लिया है, जिसका अर्थ है और इसमें डीएमआई द्वारा इन टी एंड सी की स्वीकृति के लिए भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड (" **ओटीपी ") को दर्ज करके** इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे और ये मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी होंगे। प्रासंगिक स्थानीय भाषा में इस टी एंड सी की अनुवादित प्रति डीएमआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है और मांग पर मुझे/हमें भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

1. परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1. परिभाषाएं

इस नियम एवं शर्तों तथा ऋण आवेदन में निहित नियम एवं अभिव्यक्तियाँ निम्नानुसार परिभाषित हैं:

(a) " **उधारकर्ता** " का तात्पर्य मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट उधारकर्ता विवरण से है, जिसमें कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी, हित में उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती (जैसा लागू हो) शामिल होंगे ।

(b) " **व्यावसायिक दिवस** " का तात्पर्य उस दिन से है जिस दिन दिल्ली में बैंक कारोबार के लिए खुले रहते हैं और इसमें ऐसे स्थानों पर कोई रविवार और सार्वजनिक अवकाश शामिल नहीं है।

(c) " **उधारकर्ता की देयताएं** " का अर्थ है, स्वीकृत ऋण के लिए ऋणदाता द्वारा डीएमआई को देय सभी राशियां, जिसमें बिना किसी सीमा के, कोई भी बकाया मूल राशि, ब्याज, तथा वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार उसके संबंध में देय कोई अन्य शुल्क, लागत और व्यय शामिल हैं।

(d) " **क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी** " का तात्पर्य किसी भी आरबीआई द्वारा अनुमोदित क्रेडिट सूचना कंपनियों से है, जिसमें बिना किसी सीमा के ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड, इक्विफैक्स, सीआरआईएफ हाई मार्क और एक्सपेरियन शामिल हैं।

(e) " **कूलिंग ऑफ पीरियड** " से तात्पर्य प्रासंगिक मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट अवधि से है, तथा यह अवधि उधारकर्ता को वितरित स्वीकृत ऋण से बाहर निकलने के लिए दी जाती है, यदि उधारकर्ता ऐसे स्वीकृत ऋण को जारी न रखने का निर्णय लेता है।

(f) " **देय तिथि** " का तात्पर्य किसी भी उधारकर्ता के बकाए के संबंध में किसी भी भुगतान के संबंध में है, अर्थात वह तिथि जिस पर वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार किसी भी स्वीकृत ऋण के संबंध में उधारकर्ता से डीएमआई को कोई राशि देय होती है ।

(g) " **डाउन पेमेंट** " का अर्थ धारा 2.2 में निर्दिष्ट शब्द के अनुसार होगा।

(h) " **ईपीआई** " का अर्थ पुनर्भुगतान की समतुल्य या निश्चित राशि है, जिसमें मूलधन और ब्याज (यदि लागू हो) दोनों घटक शामिल हैं, जिसे उधारकर्ता द्वारा स्वीकृत ऋण के पुनर्भुगतान के लिए निश्चित अंतराल पर या बकाया स्वीकृत ऋण के लिए एकल पुनर्भुगतान किस्त के रूप में भुगतान किया जाएगा (प्रत्येक मामले में मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार) ब्याज (यदि लागू हो) के साथ , जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में ऐसे स्वीकृत ऋण की अवधि के भीतर स्वीकृत ऋण का पूर्ण परिशोधन होगा ।

(i) " **चूक की घटना(एँ)** " का अर्थ खंड 8 में दिया गया है।

(j) " **ईवी निर्माता** " का अर्थ मुख्य तथ्य विवरण में दिया गया है।

(k) " **वित्तपोषण दस्तावेज़** " का अर्थ है यह नियम एवं शर्तें, स्वीकृति पत्र, ऋण आवेदन, मुख्य तथ्य विवरण, इसके अनुलग्नकों सहित और उधारकर्ता द्वारा निष्पादित या डीएमआई द्वारा अपेक्षित किसी भी दस्तावेज़, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है ।

(l) " **डिफ़ॉल्ट की वित्तीय घटना** " का अर्थ नीचे खंड 8.1 में दिया गया है।

(m) **"ब्याज** " से तात्पर्य ऐसे स्वीकृत ऋण की बकाया मूल राशि पर देय ब्याज, यदि कोई हो, प्रासंगिक मुख्य तथ्य विवरण में प्रदान की गई दर और तरीके से है।

(n) " **मुख्य तथ्य विवरण** " का अर्थ है स्वीकृत ऋण के मुख्य तथ्यों और शर्तों का विवरण, सरल और समझने में आसान भाषा में, डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को समय-समय पर, लागू कानून के तहत निर्धारित मानकीकृत प्रारूप में प्रदान किया जाता है, जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अलावा, वार्षिक प्रतिशत दर का विवरण, संग्रह एजेंसी का विवरण, यदि कोई हो, शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण, कूलिंग ऑफ अवधि, आदि शामिल हैं।

(o) " **विलंब भुगतान शुल्क " का अर्थ है चेक के** अनादर या मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित किसी अधिदेश के कारण चूक की स्थिति में उधारकर्ता द्वारा देय बाउंस शुल्क , ऐसे अनादर की प्रत्येक घटना के लिए।

(p) " **ऋण आवेदन** " का तात्पर्य स्वीकृत ऋण प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को प्रस्तुत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन से है।

(q) " **भौतिक प्रतिकूल प्रभाव " का अर्थ है कोई भी घटना जिसका** (i) उधारकर्ता की देनदारियों का भुगतान करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; या (ii) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत डीएमआई के अधिकार और उपाय; या (iii) उधारकर्ता की देनदारियों की वसूली। डीएमआई द्वारा किसी घटना को भौतिक प्रतिकूल प्रभाव माना जाना चाहिए या नहीं, इस पर कोई भी निर्धारण उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

(r) " **अधिदेश** " का अर्थ इस अनुच्छेद के अंतर्गत धारा 4.1 में निर्दिष्ट है।

(s) **"अतिदेय शुल्क" का अर्थ है प्रासंगिक मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित दंडात्मक शुल्क जो उन सभी राशियों पर** देय है **जिनका भुगतान उनकी संबंधित देय तिथियों पर नहीं किया जाता है। अतिदेय शुल्क को डीएमआई द्वारा** पूंजीकृत नहीं किया जाएगा **, अर्थात ऐसे अतिदेय शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाया जाएगा।**

(t) " **गोपनीयता नीति** " का अर्थ है डीएमआई की गोपनीयता नीति जो https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/ पर उपलब्ध है।

(u) " **व्यक्ति** " इसका तात्पर्य है, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, कोई भी व्यक्ति (उसके पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन और भाई-बहन के पति/पत्नी सहित), निगम, साझेदारी, व्यक्तियों का संघ, संयुक्त उद्यम, सोसायटी, कंपनी, ट्रस्ट या सरकारी प्राधिकरण या कोई अन्य कानूनी इकाई या साधन, जैसा कि संदर्भ में स्वीकार किया जा सकता है।

(v) " **उद्देश्य** " से तात्पर्य उस उद्देश्य से है जिसके लिए स्वीकृत ऋण स्वीकृत/प्रदान किया गया है, जो वाहन की खरीद के लिए होगा, जिसका विवरण मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट किया गया है।

(w) " **आरबीआई** " का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक से है।

(x) " **आरसी बुक** " का अर्थ है वाहन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र और/या प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से लागू कानूनों के अनुसार जारी किया गया ऐसा अन्य लागू दस्तावेज और/या प्रमाण , चाहे वह पेपर बुक के रूप में हो और/या स्मार्ट कार्ड और/या किसी अन्य रूप में, प्रासंगिक प्राधिकरण के साथ वाहन के पंजीकरण के संबंध में।

(y) " **रिकवरी एजेंट** " का अर्थ है कोई तीसरा पक्ष या डीएमआई द्वारा नियुक्त एजेंट चूक की घटना घटित होने पर वाहन को पुनः अपने कब्जे में लेने में सुविधा प्रदान करना।

(z) " **प्रासंगिक प्राधिकरण** " से तात्पर्य उपयुक्त प्राधिकरण से है, जो समय-समय पर लागू मोटर वाहन कानूनों के अनुसार आरटीओ या उसके किसी उच्चतर या प्रत्यायोजित प्राधिकरण सहित, किसी भी वाहन के संबंध में करों या सड़क परिवहन कर आदि सहित समान शुल्कों के संग्रह और/या संग्रह के संबंध में

परमिट/लाइसेंस/पंजीकरण या आरसी पुस्तकों के पंजीकरण और/या उपयोग के लिए प्राधिकरण के लिए जिम्मेदार या प्रभारी होता है।

(aa) आर.टी.ओ. **का** तात्पर्य क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से है।

(bb) " **स्वीकृत ऋण** " से तात्पर्य उस राशि से है जिसे ऋणदाता द्वारा ऐसे स्वीकृत ऋण के लिए जारी किए गए वित्तपोषण दस्तावेजों और मुख्य तथ्य विवरण के अनुसार निकाला जा सकता है।

(cc) " **वाहन** " से तात्पर्य मुख्य तथ्य विवरण में वर्णित वाहन से है ।

1.2. **व्याख्या**

इस नियम एवं शर्त में:

(a) एकवचन में बहुवचन शामिल है (और इसके विपरीत); तथा

(b) संदर्भ में महिला, पुरुष और तटस्थ लिंग के संदर्भ शामिल होंगे, जैसा भी लागू हो।

2. स्वीकृत ऋण का अनुदान और संवितरण

2.1. ऋण आवेदन सहित वित्तपोषण दस्तावेजों में उधारकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, डीएमआई ने ऋण को वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्धारित शर्तों पर स्वीकृत ऋण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। डीएमआई के पास ऐसे अनुरोध को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का एकमात्र और पूर्ण विवेक होगा। यदि डीएमआई ऐसे अनुरोध को मंजूरी देता है, तो उसे वित्तपोषण दस्तावेजों (ऐसे स्वीकृत ऋण के संबंध में जारी किए गए मुख्य तथ्य विवरण सहित) के अनुसार स्वीकृत ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

2.2. उधारकर्ता समझता है कि (i) स्वीकृत ऋण का संवितरण डीएमआई द्वारा उधारकर्ता के सत्यापन और उसकी आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार उसकी संतुष्टि के लिए जांच के पूरा होने के अधीन है और यदि ऐसा सत्यापन संतोषजनक नहीं है, तो डीएमआई स्वीकृत ऋण को रद्द करने का हकदार होगा ; (ii) स्वीकृत ऋण, यदि रद्द नहीं किया जाता है, तो डीएमआई द्वारा अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार उसकी संतुष्टि के लिए सत्यापन और जांच के पूरा होने के बाद वितरित किया जाएगा। उधारकर्ता समझता है कि उधारकर्ता को प्रदान किया गया स्वीकृत ऋण डीएमआई के आंतरिक मानदंडों और एकमात्र विवेक के अनुसार है और इसे डीएमआई द्वारा किसी भी समय अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक से रद्द या निरस्त किया जा सकता है। किसी भी स्वीकृत ऋण के रद्द होने की विधिवत सूचना उधारकर्ता को दी जाएगी।

2.3. स्वीकृत राशि, उधारकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर या मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार, उधारकर्ता के बैंक खाते में वितरित की जाएगी। बशर्ते कि यदि स्वीकृत राशि उधारकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर या मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार उधारकर्ता के बैंक खाते में वितरित की जाएगी।

2.4. उधारकर्ता को मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित गैर-वापसीयोग्य प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा, साथ ही उस पर माल एवं सेवा कर भी देना होगा, जिसे वितरित स्वीकृत ऋण से रखा जा सकता है और उसे उधारकर्ता को वितरित किया गया माना जाएगा तथा उधारकर्ता तदनुसार संपूर्ण स्वीकृत ऋण के लिए उत्तरदायी होगा।

2.5. उधारकर्ता डीएमआई के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपने स्वीकृत ऋण, बकाया राशि का विवरण देख सकते हैं और पुनर्भुगतान भी कर सकते हैं।

2.6. उधारकर्ता को कूलिंग ऑफ अवधि के दौरान मूलधन और आनुपातिक एपीआर का भुगतान करके, बिना किसी दंड के, वितरित स्वीकृत ऋण से बाहर निकलने का विकल्प दिया जाएगा। लुक-अप अवधि के बाद भी स्वीकृत ऋण के साथ जारी रखने वाले उधारकर्ता के लिए, डीएमआई की पूर्व स्वीकृति के साथ ही पूर्व-भुगतान की अनुमति दी जाएगी और मुख्य तथ्य विवरण में डीएमआई द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और पूर्व-भुगतान शुल्क के अधीन होगी।

2.7. ऋणकर्ता मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार वाहन के क्रय मूल्य का एक भाग ऋणकर्ता के स्वयं के

धन (" **डाउन पेमेंट** ") से देगा, जो डीएमआई को स्वीकार्य होगा।

2.8. स्वीकृत ऋण डीएमआई द्वारा सीधे डीलर को उधारकर्ता की ओर से वितरित किया जा सकता है जिससे वाहन खरीदा जा रहा है और ऐसा संवितरण उधारकर्ता को किया गया माना जाएगा। प्रसंस्करण शुल्क और कोई अन्य शुल्क (जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में उल्लेख किया गया है) डीलर को वितरित स्वीकृत ऋण से काट लिया जाएगा।

3. ब्याज और पुनर्भुगतान

3.1. उधारकर्ता मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार स्वीकृत ऋण की अवधि के दौरान प्रत्येक देय तिथि पर ईपीआई के माध्यम से बकाया स्वीकृत ऋण को ब्याज (यदि कोई हो) सहित चुकाएगा। ईपीआई की गणना डीएमआई द्वारा स्वीकृत ऋण और उस पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर देय ब्याज (यदि कोई हो) के परिशोधन के लिए आवश्यक के रूप में की जाएगी और मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अधिकतम ईपीआई से अधिक नहीं होगी। ईपीआई केवल स्वीकृत ऋण और उस पर ब्याज (यदि कोई हो) के विरुद्ध बकाया मूलधन के लिए होगी और इसमें वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा देय कोई दंडात्मक शुल्क/अतिदेय शुल्क या कोई अन्य शुल्क शामिल नहीं है। पहले ईपीआई की राशि और तिथि स्वीकृत ऋण के वितरण की तिथि के आधार पर बदल सकती है और ऐसी संशोधित तिथि और राशि उधारकर्ता को ऐसे भुगतान के लिए देय तिथि से पहले सूचित कर दी जाएगी। डीएमआई के प्रति उधारकर्ता की देयता तभी समाप्त हो जाएगी जब ऋण खाते में बकाया राशि और सभी प्रभार (मुख्य तथ्य विवरण के अनुसार) शून्य हो जाएंगे ।

3.2. किसी भी स्थिति में, यदि किसी भी कारण से उक्त ऋण की अवधि मूल अवधि से आगे बढ़ा दी जाती है, तो उधारकर्ता स्वीकृत ऋण की बकाया मूल राशि के साथ-साथ अतिदेय प्रभार, विलंबित भुगतान शुल्क और अन्य ब्याज/प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट है।

3.3. प्रत्येक ईपीआई का समय पर भुगतान अनुबंध का सार है। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसने ईपीआई की गणना की विधि को समझ लिया है और वह इस पर विवाद नहीं करेगा।

3.4. **यदि किसी ईपीआई का भुगतान उसकी नियत तिथि पर नहीं किया जाता है, तो उधारकर्ता को देरी की अवधि के लिए उस पर अतिदेय शुल्क का भुगतान करना होगा, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में बताया गया है। उपरोक्त बातें डीएमआई के किसी भी अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हैं जो इस समझौते के तहत या उधारकर्ता द्वारा देय तिथियों पर उधारकर्ता के बकाया का भुगतान करने में चूक के संबंध में लागू कानून के तहत हो सकते हैं।**

3.5. वित्तीय दस्तावेजों में कहीं और कही गई किसी भी बात के बावजूद, ईपीआई सहित उधारकर्ता की सभी बकाया राशि, उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को तब देय होगी जब डीएमआई द्वारा मांग की जाएगी, अपने विवेकानुसार और बिना किसी कारण बताए। उधारकर्ता को ऐसी राशि, बिना किसी देरी या आपत्ति के, ऐसी मांग के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर चुकानी होगी।

3.6. डीएमआई ब्याज दर/किसी अन्य शुल्क को संशोधित करने का हकदार होगा और डीएमआई बकाया स्वीकृत ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए ईपीआई/ईपीआई की संख्या की पुनर्गणना कर सकता है। डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को सूचित किया गया ऐसा कोई भी परिवर्तन भावी रूप से लागू होगा और उधारकर्ता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऐसे संशोधन के मामले में उधारकर्ता ऐसे संशोधन के 30 (तीस) दिनों के भीतर, बिना किसी पूर्व भुगतान दंड के, अर्जित ब्याज (यदि लागू हो) के साथ संपूर्ण बकाया स्वीकृत ऋण का पूर्व भुगतान करने का हकदार होगा।

3.7. ऋणकर्ता को सभी शुल्क, उपकर और अन्य प्रकार के करों का वहन करना होगा, चाहे वे अभी लागू हों या भविष्य में, किसी भी कानून के तहत किसी भी समय वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत डीएमआई को किए गए किसी भी भुगतान के संबंध में देय होंगे। ऋणकर्ता डीएमआई द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों को लागू करने या स्वीकृत ऋणों के संबंध में कोई भी वसूली कार्यवाही करने में देय सभी राशियों और सभी लागतों, शुल्कों, लेवी आदि के लिए उत्तरदायी होगा। ऋणकर्ता स्वीकार करता है कि यदि इन नियमों और शर्तों पर कोई स्टाम्प शुल्क लागू होता है तो ऋणकर्ता इसके लिए उत्तरदायी होगा। यदि उपरोक्त कोई भी शुल्क, शुल्क, कर और लागत डीएमआई द्वारा वहन की जाती है, तो ये ऋणकर्ता से वसूल किए जाएँगे और भुगतान की

तिथि से प्रतिपूर्ति तक अतिदेय शुल्क वहन करेंगे।

3.8. वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित किसी भी विपरीत नियम व शर्तों के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा चुकाई गई राशि को सबसे पहले लागत, प्रभार, व्यय और अन्य धनराशियों के लिए; दूसरे, अतिदेय प्रभारों (यदि कोई हो) के लिए; तीसरे, ब्याज के लिए; और अंत में स्वीकृत ऋण की मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए विनियोजित किया जाएगा।

3.9. ब्याज, अतिदेय प्रभार और अन्य सभी प्रभार दिन-प्रतिदिन अर्जित होंगे और उनकी गणना 30/360 दिन की परंपरा के आधार पर की जाएगी।

3.10. यदि किसी भुगतान की देय तिथि कोई व्यावसायिक दिन नहीं है, तो उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान तुरंत अगले व्यावसायिक दिन पर किया जाएगा।

3.11. डीएमआई को उधारकर्ता द्वारा देय सभी राशि बिना किसी कटौती के चुकाई जाएगी। भुगतान के लिए क्रेडिट/डिस्चार्ज केवल देय राशि की वसूली पर ही दिया जाएगा।

3.12. उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि ब्याज दर, दंडात्मक/अतिदेय शुल्क, सेवा शुल्क और अन्य देय शुल्क तथा वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई दरें उसके लिए उचित और स्वीकार्य हैं।

3.13. इसमें या किसी अन्य दस्तावेज में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, ऋणकर्ता के बकाया भुगतान के दायित्व इस जी.सी. की तिथि को वाहन का सटीक विवरण ज्ञात न होने या वाहन को कोई क्षति/विनाश/हानि/चोरी/अन्य क्षति या वाहन की डिलीवरी या देरी से डिलीवरी या गैर-डिलीवरी या डीलर के साथ विवाद या ऋणकर्ता द्वारा वाहन का उपयोग किया जा रहा है या नहीं, के कारण किसी भी तरह से प्रभावित, सीमित या विलंबित नहीं होंगे; और ऋणकर्ता इस जी.सी. के अनुसार समय पर सभी दायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

3.14. उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि ईवी निर्माता और संबंधित डीलर वाहन के प्रदर्शन या डिलीवरी के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होंगे और डीएमआई वाहन की डिलीवरी या गैर-डिलीवरी में किसी भी देरी और/या वाहन की गुणवत्ता, स्थिति, फिटनेस, उपयुक्तता या अन्यथा के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा।

3.15. यदि किसी भी कारण से वाहन की डिलीवरी रद्द हो जाती है, तो डीएमआई केवल तभी दायित्वों का भुगतान मानेगा जब डीलर उधारकर्ता द्वारा डीलर की रिफंड नीति का अनुपालन करने पर डीएमआई को राशि वापस कर देगा। इस तरह के रिफंड के मामले में, डीएमआई उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई ईपीआई, यदि कोई हो, को खरीद और रिफंड के बीच की अवधि के लिए ब्याज (यदि कोई हो) घटाकर वापस कर देगा, और स्वीकृत ऋण को पूरी तरह से चुका हुआ मान लेगा। प्रोसेसिंग फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी और यदि कोई हो तो उसे रिफंड के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा ।

3.16. स्वीकृत ऋण के संवितरण के अनुसरण में यदि ऋणकर्ता किसी वैध और मान्य कारण से वाहन की खरीद को रद्द करता है, जिसमें बिना किसी सीमा के, वाहन के दोषपूर्ण, खराब होने या वारंटीकृत गुणवत्ता का न होने के कारण वाहन की खरीद रद्द करना शामिल है और बिक्री की शर्तों के अनुसार डीलर द्वारा बिक्री का ऐसा रद्दीकरण स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऋणकर्ता डीलर द्वारा ऐसे रद्दीकरण की स्वीकृति की सूचना दिए जाने के 3 (तीन) दिनों के भीतर डीएमआई को ऐसे रद्दीकरण की सूचना देने के लिए सहमत होता है।

4. भुगतान, पुनर्भुगतान और पूर्व भुगतान का तरीका

4.1. ऋणकर्ता, समय-समय पर डीएमआई द्वारा अपेक्षित अनुसार, बकाया राशि के भुगतान के लिए ऋणकर्ता के बैंक खाते के विरुद्ध आरबीआई द्वारा अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा/राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) (डेबिट समाशोधन)/कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य समाशोधन अधिदेश (सामूहिक रूप से " **अधिदेश** " के रूप में संदर्भित) प्रदान करेगा। ऐसा अधिदेश ऐसे बैंक से और ऋणकर्ता के ऐसे खाते से निकाला जाएगा जो डीएमआई को स्वीकार्य हो। ऋणकर्ता देय तिथियों/ अधिदेश की पहली प्रस्तुति पर बिना चूक के सभी भुगतानों का सम्मान करेगा । ऋणकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अधिदेश का

उपयोग डीएमआई द्वारा ऋणकर्ता के किसी भी बकाए की वसूली के लिए किया जा सकता है। ऋणकर्ता इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से डीएमआई को ऋणकर्ता को अग्रिम सूचना देने या न देने के साथ ही ऐसी वसूली के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है। उधारकर्ता को तुरंत (और किसी भी स्थिति में 7 (सात) दिनों के भीतर) उधारकर्ता की बकाया राशि के भुगतान के लिए निष्पादित किए गए अधिदेश और/या अन्य दस्तावेजों को बदलना होगा, जैसा कि समय-समय पर डीएमआई द्वारा अपने विवेक पर आवश्यक हो सकता है। अधिदेश पंजीकरण की अस्वीकृति के मामले में, उधारकर्ता मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार अधिदेश अस्वीकृति शुल्क का भी भुगतान करेगा।

4.2. उधारकर्ता को हर समय उधारकर्ता को अपने बैंक खाते/खातों में पर्याप्त धनराशि रखनी होगी ताकि वह संबंधित देय तिथियों पर उधारकर्ता के बकाया का भुगतान कर सके। उधारकर्ता उस बैंक खाते/खातों को बंद नहीं करेगा जिससे अधिदेश जारी किया गया है या अधिदेश के तहत भुगतान रोकने या देरी करने के लिए बैंक या डीएमआई को निर्देश जारी नहीं करेगा और डीएमआई ऐसे किसी भी संचार पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं है । ऐसे किसी भी निर्देश को भी डिफ़ॉल्ट की घटना माना जाएगा।

4.3. उधारकर्ता द्वारा दिया गया अधिदेश उस अधिदेश की संबंधित तिथि तक वैध रहेगा और उधारकर्ता यह दावा नहीं करेगा कि उधारकर्ता द्वारा दिया गया अधिदेश या ऐसा कोई अन्य अधिदेश किसी भी कारण से अवैध है।

4.4. उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि अधिदेश उधारकर्ता के बकाया के भुगतान के लिए स्वैच्छिक रूप से जारी किया गया है, न कि किसी भी उद्देश्य के लिए सुरक्षा के रूप में। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि किसी भी अधिदेश का अनादर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881/ भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 के तहत एक आपराधिक अपराध है। उधारकर्ता प्रत्येक अधिदेश अनादर के लिए विलंब भुगतान शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा (जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित है)।

4.5. कोई भी विवाद या मतभेद, उधारकर्ता को किसी भी ईपीआई या अन्य राशि के भुगतान को रोकने या विलंबित करने का अधिकार नहीं देगा और डीएमआई को देय तिथियों पर अधिदेश प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

4.6. तिस पर भी अधिदेश जारी होने के पश्चात , ऋणी बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा।

4.7. अतिरिक्त , डीएमआई चेक/ एनईएफटी/आरटीजीएस/भुगतान के अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के माध्यम से भी भुगतान स्वीकार करेगा और उधारकर्ता अपने बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक होने पर ऐसे विकल्पों का लाभ उठा सकता है। हालाँकि, उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि अधिदेश के अलावा अन्य तरीकों से बकाया राशि के भुगतान की स्थिति में लेन-देन के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा और उधारकर्ता से वसूला जाएगा।

5. सुरक्षा

5.1. ऋणकर्ता इस प्रकार दायित्वों के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए डीएमआई के पक्ष में प्रथम, अनन्य और निरंतर प्रभार के आधार पर वाहन को बंधक रखने के लिए सहमत होता है, जब तक कि डीएमआई की संतुष्टि के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार सभी दायित्वों का भुगतान नहीं हो जाता। बनाई गई सुरक्षा ऋणकर्ता की दिवालियापन या मृत्यु से प्रभावित, क्षतिग्रस्त या समाप्त नहीं होगी।

5.2. उधारकर्ता को पूर्वोक्त प्रभार के निर्माण और पूर्णता के लिए सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा, जिसमें बिना किसी सीमा के टीएंडसी में संलग्न घोषणा को निष्पादित करना, संबंधित प्राधिकरण के साथ ऐसे प्रभार को पंजीकृत करना और आरसी बुक और बीमा पॉलिसी पर इसके लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त करना और डीएमआई की संतुष्टि के लिए डीएमआई को इसका प्रमाण देना शामिल है। ऐसे दस्तावेज़ 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर वितरित किए जाने चाहिए।

5.3. डीएमआई द्वारा वाहन को सौंपे जाने या पुनः अपने कब्जे में लेने पर ऋणकर्ता को डीएमआई को वाहन की मूल आरसी बुक और बीमा पॉलिसी तुरंत सौंपनी होगी। ऋणकर्ता के पूर्वोक्त दायित्व के प्रति पूर्वाग्रह

के बिना, ऋणकर्ता डीएमआई और उसके प्रतिनिधियों को वाहन की डिलीवरी के समय या उसके बाद डीएमआई के पक्ष में वाहन को गिरवी रखने के लिए अधिकृत करता है।

5.4. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उधारकर्ता को वित्तपोषण दस्तावेज़ की शर्तों के अनुपालन की शर्त पर वाहन का कब्ज़ा बनाए रखने की अनुमति दी गई है। उधारकर्ता सभी उचित समय पर DMI और उसके प्रतिनिधियों द्वारा वाहन का निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान करेगा। उधारकर्ता DMI की स्वीकृति के बिना वाहन पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार को हस्तांतरित, विक्रय या निर्मित नहीं करेगा और उधारकर्ता द्वारा वाहन का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तांतरण नहीं करेगा। DMI की स्वीकृति के बिना ऐसा कोई कार्य शून्य माना जाएगा और यह आपराधिक विश्वासघात भी होगा जिसके लिए DMI को आपराधिक शिकायत दर्ज करने और उधारकर्ता के खिलाफ़ प्रथम सूचना रिपोर्ट जारी करने का अधिकार होगा। ऐसा कोई भी अवैध या अनधिकृत हस्तांतरण या बिक्री उधारकर्ता के सभी देय राशियों का भुगतान करने के दायित्वों के प्रतिकूल नहीं होगी।

5.5. ऋणकर्ता को, जब भी डी.एम.आई. द्वारा अपेक्षित हो, डी.एम.आई. को वाहन के बारे में पूर्ण विवरण देना होगा तथा समय-समय पर सभी विवरण, रिपोर्ट, विवरणी, प्रमाण-पत्र और सूचना प्रस्तुत करनी होगी तथा डी.एम.आई. के पक्ष में वाहन पर सृजित सुरक्षा हित को प्रभावी करने या अन्यथा दायित्वों को सुरक्षित करने के लिए डी.एम.आई. द्वारा अपेक्षित सभी दस्तावेजों को निष्पादित करना होगा।

5.6. उधारकर्ता को ऐसी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करनी होगी, जो दायित्वों को सुरक्षित करने के लिए डीएमआई द्वारा समय-समय पर यथोचित रूप से अपेक्षित हो।

5.7. उधारकर्ता को डीएमआई की संतुष्टि के लिए ऋणदाता को प्रदान की गई किसी भी प्रतिभूति पर एक अच्छा और विपणन योग्य स्वामित्व बनाना होगा।

5.8. ऋणी यह वचन देता है कि वाहन, सभी सुरक्षित संपत्तियां और सभी बिक्री प्राप्तियां, बीमा आय और उससे संबंधित सभी दस्तावेज हमेशा डीएमआई के आदेशानुसार उसके पास रहेंगे और डीएमआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही उनका निपटान किया जाएगा।

5.9. उधारकर्ता द्वारा समस्त बकाया राशि के पुनर्भुगतान पर, डीएमआई एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करेगा तथा बकाया राशि के पुनर्भुगतान या निपटान के पश्चात 30 (तीस) दिनों के भीतर वाहन पर प्रतिभूति तथा अपने पक्ष में सुरक्षित अन्य अतिरिक्त प्रतिभूति को मुक्त कर देगा।

6. उधारकर्ता की शर्तें, प्रतिनिधित्व और वारंटी

6.1. उधारकर्ता को :

(a) वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों का पालन और निष्पादन करना ;

(b) डीएमआई को सभी दस्तावेज तुरंत सौंपे, जिसमें बैंक खाता विवरण भी शामिल है, जिसकी डीएमआई को समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है। उधारकर्ता डीएमआई को स्वतंत्र रूप से (ए) किसी भी बैंक के साथ संवाद करने के लिए अधिकृत करता है , जहां उधारकर्ता का खाता है और बैंक से ऐसे खाते के संबंध में विवरण और विवरण मांगता है; और (बी) उधारकर्ता के किसी भी आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/ग्राहक के साथ, जिसे डीएमआई आवश्यक समझे, जिसमें उधारकर्ता की ऋण पात्रता की निगरानी करना भी शामिल है;

(c) उधारकर्ता के विरुद्ध किसी भी मुकदमे या कानूनी कार्यवाही की सूचना तुरंत डीएमआई को देना;

(d) प्रतिकूल प्रभाव या चूक की घटना के बारे में डीएमआई को सूचित करना ;

(e) कार्यालय/निवास/व्यवसाय के स्थान/पते में सभी परिवर्तनों या उधारकर्ता के व्यवसाय में किसी भी परिवर्तन/बंद होने की लिखित रूप में डीएमआई को सूचित करना ;

(f) विवरण में अनुमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए स्वीकृत ऋण का उपयोग नहीं करेगा और विशेष रूप से इसका उपयोग (क) पूंजी बाजार में किसी भी निवेश के लिए नहीं करेगा, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं (ख) प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयों और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयों सहित किसी

भी रूप में सोने की खरीद के लिए या (ग) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य के लिए या (घ) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध है या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है;

(g) वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्दिष्ट अनुसार सुरक्षा प्रदान करना, यदि कोई हो, या किसी भी उधारकर्ता की ऋण पात्रता में किसी भी परिवर्तन के मामले में डीएमआई द्वारा अपेक्षित हो (जैसा कि डीएमआई द्वारा निर्धारित किया जाता है);

(h) यह सुनिश्चित करना कि व्यावसायिक आय उस खाते में जमा की जाए जिससे डीएमआई को अधिदेश जारी किए गए हैं;

(i) 2002 सहित लागू कानूनों का हर समय अनुपालन करना ;

(j) C की शर्तों को प्रभावी करने के लिए डीएमआई द्वारा अपेक्षित सभी कार्य, कर्म और चीजें करेगा ;

(k) स्वीकृत ऋण के वितरण के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (जहां लागू हो) के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकारी के पास वाहन को डीएमआई द्वारा अनुमत स्थानों पर पंजीकृत कराएं और आरसी पर डीएमआई प्रभार का अनुमोदन प्राप्त करें ;

(l) द्वारा अपेक्षित होने पर वाहन के स्थान का डी.एम.आई. विवरण उपलब्ध कराना ;

(m) वाहन के संचालन, कब्जे और उपयोग के लिए आवश्यक सभी अनुमतियां और अनुमोदन प्राप्त करना और बनाए रखना ;

(n) वाहन को व्यापक रूप से बीमाकृत रखें, जैसा कि ऐसे वाहनों के लिए प्रथागत है, जिसमें कानून के तहत आवश्यक तृतीय पक्ष देयता बीमा भी शामिल है, और दायित्वों की चुकौती तक ऐसे बीमा को बनाए रखने के लिए सभी प्रीमियम का भुगतान करें । प्रत्येक ऐसे बीमा अनुबंध/पॉलिसी को हानि भुगतानकर्ता या लाभार्थी के रूप में DMI के पक्ष में या उसके लाभ के लिए उचित रूप से समर्थन किया जाना चाहिए। उधारकर्ता ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो वाहन के संबंध में किसी भी बीमा दावे को सीमित, शून्य या शून्य करने योग्य बना दे ;

(o) डीएमआई को 3 (तीन) दिनों के भीतर लिखित रूप से सूचित करें (ए) वाहन की किसी चोरी या क्षति, वाहन के संबंध में किसी बीमा का पंजीकरण (बी) वाहन की आरसी बुक या बीमा पॉलिसी के किसी नुकसान, विनाश या गलत स्थान पर रखे जाने या (सी) किसी भी भौतिक प्रतिकूल प्रभाव या चूक की घटना के बारे में ; और इस संबंध में विवेकपूर्ण या डीएमआई द्वारा अपेक्षित सभी कार्रवाई करें। डीएमआई द्वारा ऐसे किसी निर्देश या उसके अभाव के बावजूद, उधारकर्ता दायित्वों के भुगतान के लिए उत्तरदायी बना रहेगा ;

(p) वाहन को अच्छी और कार्यशील स्थिति में बनाए रखना , सामान्य क्रम में टूट-फूट के अधीन और ऐसा कुछ भी नहीं करना जो वाहन के संबंध में ईवी निर्माता द्वारा प्रदान की गई किसी भी वारंटी को शून्य या प्रतिबंधित कर दे ;

(q) लागू कानूनों के अनुसार वाहन के संबंध में सभी करों , शुल्कों और अन्य वैधानिक बकाया का भुगतान करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह का कोई बकाया वाहन पर भार, दावा या भार न बने ;

(r) वाहन के उपयोग, संचालन और कब्जे के संबंध में सभी लागू कानूनों का पालन करना ;

(s) वाहन के संबंध में किसी भी समय प्राप्त होने वाली किसी भी सब्सिडी का डीएमआई को तुरंत भुगतान करना, जिसे डीएमआई द्वारा इस जीसी के अनुसार बकाया शेष के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा;

(t) डीएमआई को सभी दस्तावेज तुरंत सौंपे, जिसमें बैंक खाता विवरण भी शामिल है, जैसा कि डीएमआई द्वारा समय-समय पर आवश्यक हो सकता है। उधारकर्ता डीएमआई को स्वतंत्र रूप से (i) किसी भी बैंक के साथ संवाद करने के लिए अधिकृत करता है, जहां उधारकर्ता का खाता है और बैंक से ऐसे खाते के संबंध में विवरण और विवरण प्राप्त करने के लिए और (ii) किसी भी उधारकर्ता के किसी भी नियोक्ता के साथ, जैसा कि डीएमआई आवश्यक समझे, उधारकर्ता की ऋण पात्रता की निगरानी करने के लिए भी अधिकृत करता है;

(u) कार्यालय/निवास/व्यवसाय के स्थान/पते में सभी परिवर्तनों या रोजगार /पेशे/ व्यवसाय में किसी भी परिवर्तन/त्यागपत्र/समाप्ति/बंद होने की लिखित सूचना डीएमआई को देना ;

(v) वेतन और/या व्यावसायिक आय को उस खाते में जमा करना सुनिश्चित करना जिससे डीएमआई को भुगतान निर्देश जारी किए गए हैं ;

(w) संवितरण के दिन या उससे पहले डीएमआई द्वारा अपेक्षित ऋण जीवन बीमा पॉलिसी लें, जिसमें दुर्घटना, मृत्यु, स्थायी विकलांगता और बेरोजगारी के लिए कवर शामिल होगा और ऐसी अन्य शर्तें जो डीएमआई को स्वीकार्य होंगी, जैसा भी लागू हो;

(x) 2002 सहित लागू कानूनों का हर समय अनुपालन करना ;

(y) सभी दस्तावेजों और संशोधनों को निष्पादित करना और डीएमआई द्वारा अपेक्षित डीएमआई के साथ सहयोग करना (i) (ii) डीएमआई को वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अधिकारों का पूर्ण लाभ देने के लिए, आरबीआई के किसी भी दिशा-निर्देश/निर्देशों का अनुपालन करना ।

6.2. उधारकर्ता इसके द्वारा आगे सहमत होता है और DMI और/या उसके विनियामकों या DMI और/या उसके विनियामकों द्वारा नियुक्त किसी तीसरे पक्ष को उधारकर्ता के परिसर और/या खातों की पुस्तकों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत करता है। उधारकर्ता DMI, उसके विनियामकों, DMI द्वारा नियुक्त तीसरे पक्ष या उसके विनियामकों द्वारा ऐसे उद्देश्यों के लिए किए गए सभी लागतों और खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगा।

6.3. उधारकर्ता को किसी भी समय निम्न कार्य नहीं करने चाहिए:

(a) वाहन में कोई भी परिवर्तन करना (किसी वैकल्पिक बैटरी या उसके चार्जिंग तंत्र की स्थापना सहित);

(b) डीएमआई की पूर्व सहमति के बिना वाहन या किसी अन्य सुरक्षा पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार को बेचना , भार डालना, स्थानांतरित करना या बनाना;

(c) अंतिम निपटान तिथि तक किसी भी अवधि के लिए वाहन को लाइसेंस देना या पट्टे पर देना या किसी अन्य व्यक्ति को वाहन देना ;

(d) वाहन के संबंध में ऐसा कोई कार्य करना जिसके कारण वाहन से संबंधित लाइसेंस, परमिट, आर.सी. बुक या उनमें से कोई भी रद्द और/या अमान्य और/या निलंबित हो जाए;

(e) पर अपना प्रभार अनुमोदित करने के लिए डीएमआई को आवेदन प्रस्तुत करने के अलावा किसी अन्य तरीके से वाहन के लिए डुप्लीकेट आरसी बुक के लिए आवेदन करना ;

(f) पंजीकरण मूल पंजीकरण के शहर के अलावा किसी अन्य शहर या कस्बे में स्थानांतरित करना ;

(g) पंजीकरण संख्या/पंजीकृत पता बदलना और/या वाहन को उधारकर्ता के पते (जैसा कि डीएमआई को बताया गया है) से किसी ऐसे उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से हटाना जो सामान्य क्रम या सामान्य उपयोग में न हो;

(h) वाहन का किसी अवैध या अनधिकृत उद्देश्य के लिए उपयोग करना या कोई ऐसा कार्य करना जिसके परिणामस्वरूप वाहन को संबंधित प्राधिकारी सहित किसी भी कानून के तहत किसी भी प्राधिकारी द्वारा जब्त या जब्त किया जा सकता है ;

(i) रोजगार या व्यवसाय के लिए भारत छोड़ना या विदेश में लंबी अवधि तक रहना, स्वीकृत ऋण की बकाया राशि को ब्याज और अन्य बकाया एवं शुल्कों सहित पूरी तरह से चुकाए बिना ।

6.4. उधारकर्ता डीएमआई के समक्ष निम्नानुसार प्रतिनिधित्व और वारंट करता है:

(a) ऋण आवेदन में तथा किसी अन्य दस्तावेज में ऋणदाता द्वारा दी गई सभी जानकारी, चाहे वह ऋणदाता की ऋण पात्रता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक हो या न हो , सत्य और सही है तथा किसी भी तरह से भ्रामक नहीं है।

(b) ऋणकर्ता सभी लागू कानूनों के तहत वित्तपोषण दस्तावेजों और उसके अंतर्गत लेनदेन को निष्पादित करने में सक्षम और हकदार है।

(c) व्यक्तियों के मामले में: उधारकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए (केवल तभी लागू होगी जब उधारकर्ता एक व्यक्ति हो) और वह स्वस्थ मानसिक स्थिति में हो तथा वित्तपोषण दस्तावेज उसके लिए कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व है, जो उसकी शर्तों के अनुसार उसके विरुद्ध लागू किए जा सकते हैं।

(d) कॉर्पोरेट संस्थाओं के मामले में: उधारकर्ता लागू कानूनों के अनुसार विधिवत् संगठित और वैध रूप से स्थापित है और वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत इसके द्वारा घोषित अनुसार अपना व्यवसाय करने का हकदार है।

(e) में प्रवेश करने की पूर्ण क्षमता, शक्ति और अधिकार है और इस प्रकार निष्पादित और वितरित नियम एवं शर्तें उधारकर्ता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी।

(f) न तो उधारकर्ता द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों का निष्पादन और वितरण और न ही उधारकर्ता के किसी भी दायित्व का प्रदर्शन या पालन किसी कानून, क़ानून, नियम, आदेश, ट्रस्ट, समझौते या अन्य साधनों, व्यवस्था, दायित्व या कर्तव्य के उल्लंघन का परिणाम होगा जिसके द्वारा उधारकर्ता बाध्य है। उधारकर्ता ने सभी लागू कानूनों का अनुपालन किया है और आगे भी करता रहेगा और उसने सभी संबंधित अधिकारियों से सभी आवश्यक लाइसेंस/प्राधिकरण प्राप्त कर लिए हैं जैसा कि वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के निष्पादन और अपने व्यवसाय को जारी रखने के लिए लागू कानूनों के तहत आवश्यक है।

(g) उधारकर्ता यह घोषणा करता है कि वह समझता है और उसने मुख्य तथ्य विवरण और वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार स्वीकृत ऋण को अपनी स्वतंत्र इच्छा से और किसी तीसरे पक्ष के दबाव/प्रभाव/दबाव के बिना प्राप्त करने के लिए सहमति दी है।

(h) ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जो डीएमआई के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए उसके दायित्व को प्रभावित करे।

(i) उधारकर्ता ने किसी भी कर या सरकारी बकाया का भुगतान नहीं किया है।

(j) उधारकर्ता के विरुद्ध कोई मुकदमा/कार्यवाही लंबित या धमकी प्राप्त नहीं है तथा उधारकर्ता को वर्तमान में ऐसे किसी तथ्य की जानकारी नहीं है जिससे ऐसे मुकदमे/कार्यवाही या भौतिक दावों को जन्म मिलने की संभावना हो।

(k) उधारकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दिवालियापन या दिवालियापन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है ।

(l) उधारकर्ता को किसी भी नियामक/सांविधिक प्राधिकरण और/या बैंकों और/या वित्तीय संस्थानों और/या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि द्वारा चूककर्ताओं की किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(m) चूक की कोई घटना घटित नहीं हुई है और/या अस्तित्व में है या जारी है।

6.5. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसने https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/ पर डीएमआई गोपनीयता नीति पढ़ ली है, और उस पर अपनी सहमति दे दी है। उधारकर्ता स्वीकार करता है और डीएमआई को उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई या अन्यथा डीएमआई द्वारा प्राप्त की गई जानकारी का उपयोग, भंडारण और प्रसंस्करण करने के लिए अपनी सहमति देता है, स्वीकृत ऋण प्रदान करने और उसकी निगरानी करने, उसके पुनर्भुगतान और वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के अनुपालन के लिए और डीएमआई की व्यावसायिक आवश्यकताओं और किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए जैसा कि गोपनीयता नीति में विस्तृत है या जिसके लिए उधारकर्ता ने किसी अन्य तरीके से अपनी सहमति प्रदान की है। उधारकर्ता समझता है और सहमत है कि डीएमआई लागू कानून के अधीन, अपने ठेकेदारों, एजेंटों और किसी भी अन्य तीसरे पक्ष को आवश्यकता के आधार पर या डीएमआई गोपनीयता नीति में प्रदान किए गए अनुसार या किसी वैधानिक/नियामक आवश्यकता के अनुसार आवश्यक हो सकता है।

7. डिफ़ॉल्ट की घटनाएँ

निम्नलिखित कार्य/घटनाएँ प्रत्येक स्वीकृत ऋण के प्रयोजनों के लिए उधारकर्ता द्वारा चूक की घटना मानी जाएँगी:

7.1. देय तिथि पर देय किसी भी राशि के भुगतान में कोई चूक (" **डिफ़ॉल्ट की वित्तीय घटना** ")

7.2. उधारकर्ता निर्धारित तिथि पर किसी भी उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है;

7.3. वित्तपोषण अनुबंध के तहत किसी भी शर्त, अनुबंध, प्रतिनिधित्व, वारंटी, घोषणा या पुष्टि का उल्लंघन दस्तावेज़;

7.4. कोई धोखाधड़ी या गलत बयान या गलत जानकारी छिपाना, जिससे डीएमआई द्वारा कोई सुविधा प्रदान करने के निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता हो ;

7.5. मृत्यु, पागलपन या कोई अन्य स्थायी विकलांगता ;

7.6. उधारकर्ता ड्रॉडाउन का उपयोग उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है या वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्धारित अंतिम उपयोग प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है ;

7.7. किसी भी घटना, स्थिति या परिस्थिति (कानून में किसी भी परिवर्तन सहित) का घटित होना, जो डीएमआई के एकमात्र और पूर्ण विचार में भौतिक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिसमें उधारकर्ता के दिवालियापन/परिसमापन/दिवालियापन के लिए किसी भी कार्यवाही या कार्रवाई की सीमा या उसकी किसी भी संपत्ति की कुर्की/प्रतिबंध शामिल है;

7.8. **वाहन संबंधी डिफ़ॉल्ट:**

(a) वाहन या उसके किसी भाग की कोई गिरावट, विनाश, दुर्घटना, क्षति या चोरी; या यदि वाहन या उसके किसी भाग को किसी भी तरह से बेचा, निपटाया, हस्तांतरित या कुर्क किया या प्रतिबंधित किया जाता है; या वाहन का उपयोग किसी भी अवैध गतिविधि के लिए किया जाता है।

(b) प्रीमियम का समय पर भुगतान सहित निरंतर आधार पर वाहन का बीमा कराने या बीमा बनाए रखने में कोई चूक ; या किसी कर, अधिरोपण, शुल्क या अन्य अधिरोपण के भुगतान में चूक या देरी या समय-समय पर कानून के तहत वाहन के लिए आवश्यक किसी भी अन्य औपचारिकताओं का पालन करना।

(c) वाहन के संबंध में इंजन/चेसिस पर अंकित किसी भी पंजीकरण प्लेट/विशेष चिह्न और संख्या में परिवर्तन ।

(d) डीएमआई की पूर्व लिखित सहमति/अनुमोदन के बिना, संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में दर्ज दृष्टिबंधक के समर्थन को हटाना, बदलना/छेड़छाड़ करना ।

(e) ऋणदाता वाहन को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने में विफल रहता है ।

(f) कोई घटना , स्थिति या परिस्थिति विद्यमान है या घटित हुई है, जिसका डीएमआई के मतानुसार भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है।

8. डिफ़ॉल्ट के परिणाम:

8.1. डीएमआई का निर्णय कि चूक की घटना घटित हुई है या नहीं, उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

8.2. डिफ़ॉल्ट की किसी भी घटना के घटित होने पर और उसके बाद किसी भी समय, डीएमआई को किसी भी स्वीकृत ऋण के विरुद्ध सभी संवितरण रोकने, स्वीकृत ऋण के संबंध में बकाया सभी राशियों को, चाहे देय हों या नहीं, तुरंत चुकौती योग्य घोषित करने का अधिकार होगा, लेकिन यह दायित्व नहीं होगा और यदि उधारकर्ता 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उक्त भुगतान करने में विफल रहता है, तो डीएमआई अपने विवेक से किसी भी अन्य अधिकार या उपाय का प्रयोग कर सकता है जो डीएमआई को किसी भी लागू कानून के तहत उपलब्ध हो सकता है, जिसमें उधारकर्ता या उनकी संपत्तियों के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा राहत या

कुर्की की मांग करना शामिल है। पूर्वोक्त के बावजूद, यदि उधारकर्ता ऐसे भुगतान की देय तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो डीएमआई को अन्य बातों के साथ-साथ उसे एक गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने और तदनुसार क्रेडिट ब्यूरो एजेंसियों को इसकी रिपोर्ट करने का अधिकार होगा।

8.3. डीएमआई अपने पूर्ण विवेक पर, उधारकर्ता की लागत और खर्च पर, आवश्यकतानुसार बकाया राशि की वसूली के लिए ऐसी कार्यवाही/कार्रवाई/कदम उठा सकता है और/या सुरक्षा को लागू कर सकता है , जिसमें वाहन का पुनः कब्ज़ा और बिक्री या निपटान शामिल है, या तो नीलामी, सीमित निविदा, निजी बिक्री या ऐसे अन्य तरीके से जिसे कानून द्वारा अनुमति दी जा सकती है, जिसमें अदालत के हस्तक्षेप की मांग किए बिना भी शामिल है ;

8.4. डीएमआई अपने पूर्ण विवेक से ऐसे सभी अधिकारों और उपायों का प्रयोग कर सकता है जो लागू कानूनों के अंतर्गत उसे उपलब्ध हों।

9. वाहन का पुनः कब्ज़ा और बिक्री

9.1. डिफ़ॉल्ट/डिफ़ॉल्ट की वित्तीय घटना की स्थिति में, इस जीसी की किसी भी शर्त के तहत डीएमआई के किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, डीएमआई के पास इस खंड के अनुसार वाहन को वापस लेने का पूर्ण और अप्रतिबंधित अधिकार होगा। डीएमआई, जब तक कि डीएमआई के वैध हित के लिए प्रतिकूल न हो या उधारकर्ता के किसी भी जानबूझकर किए गए कार्य के मामले में जो सुरक्षा/वाहन को खतरे में डालता है या डीएमआई के हितों के प्रतिकूल है , उचित नोटिस (48 घंटे से कम नहीं) देगा (" **पुनर्ग्रहण** वाहन का कब्ज़ा वापस लेने से पहले डीएमआई को **नोटिस ") का पालन करना चाहिए** । डीएमआई अपने विवेक से कब्ज़ा वापस लेने के नोटिस को माफ कर सकता है । हालाँकि , अगर उधारकर्ता जानबूझकर डीएमआई से संपर्क स्थापित करने से बचता है या उसे स्वीकार करता है, तो डीएमआई को कब्ज़ा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार होगा।

9.2. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि वाहन को वापस लेने का उद्देश्य दायित्वों की वसूली करना है, न कि उधारकर्ता को वाहन से वंचित करना। वाहन को वापस लेने की स्थिति में, उधारकर्ता आय की हानि, वित्तीय कठिनाई या अन्य कठिनाई सहित किसी भी कारण से डीएमआई के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।

9.3. कब्जा लेने की ऐसी कोई भी कार्रवाई और उसके बाद बकाया राशि की वसूली और वसूली के लिए सभी कार्रवाइयां डीएमआई द्वारा लागू कानून के अनुसार और निष्पक्ष तरीके से की जाएंगी ।

9.4. बकाया राशि के भुगतान सहित किसी वित्तीय चूक की घटना के बाद, डीएमआई उधारकर्ता को अंतिम मांग नोटिस जारी करेगा, जिसके 30 दिनों के भीतर उधारकर्ता को वित्तीय चूक की घटना को पूरा करना होगा। यदि उधारकर्ता 30 दिनों की उपर्युक्त अवधि के भीतर वित्तीय चूक की घटना को पूरा करने में विफल रहता है , तो डीएमआई को वाहन को वापस लेने का अधिकार होगा (जैसा कि खंड 10.1 में उल्लेख किया गया है)। इसके अलावा, चूक की घटना के बाद वाहन को वापस लेने की स्थिति में, न तो डीएमआई और न ही रिकवरी एजेंट वाहन को हुए किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा, जबकि यह डीएमआई के कब्जे में है और उपरोक्त के कारण कोई भी लागत, व्यय और दावा पूरी तरह से उधारकर्ता के खाते में होगा।

9.5. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि बकाया राशि के विरुद्ध ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा के समायोजन के दावे को छोड़कर, उधारकर्ता के पास ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा के विनियोजन के लिए डीएमआई के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा। डीएमआई डिफ़ॉल्ट की घटना/डिफ़ॉल्ट की वित्तीय घटना के संबंध में अपने सभी अधिकारों और उपायों का प्रयोग करने का हकदार बना रहेगा और ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा के विनियोजन को उधारकर्ता द्वारा किसी भी देरी या डिफ़ॉल्ट की छूट या माफ़ी के रूप में नहीं माना जाएगा।

9.6. डिफ़ॉल्ट की घटना के घटित होने और पुनः कब्ज़ा नोटिस जारी होने के बाद, ऋणकर्ता ऐसे स्थान और समय पर वाहन की व्यवस्था या आत्मसमर्पण कर सकता है, जैसा कि डीएमआई तय करे, साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़, प्रमाणपत्र, अनुमोदन या परमिट भी साथ ले सकता है। यदि ऋणकर्ता ऐसे

आत्मसमर्पण/पुनः कब्ज़ा की व्यवस्था करने में विफल रहता है, तो डीएमआई ऋणकर्ता को कोई और नोटिस या सूचना दिए बिना लागू कानून के अनुसार वाहन का पुनः कब्ज़ा लेने का हकदार होगा। ऐसे उद्देश्य के लिए, डीएमआई और उसके अधिकृत प्रतिनिधि (इस तरह के उद्देश्य के लिए डीएमआई द्वारा नियुक्त किसी तीसरे पक्ष सहित) किसी भी स्थान में प्रवेश करने के हकदार होंगे जहां वाहन संग्रहीत, पार्क या रखा जा सकता है और वे सभी कार्रवाई कर सकते हैं जैसा वे उचित समझ सकते हैं (ऐसी कार्रवाई कानून का उल्लंघन नहीं होने के अधीन) वाहन के पुनः कब्ज़े और हिरासत और उसके बाद की बिक्री के लिए।

9.7. उधारकर्ता स्वीकार करता है और सहमत है कि डी.एम.आई. और रिकवरी एजेंट किसी भी तरह से राजस्व या व्यवसाय के किसी भी नुकसान या ऐसे स्वैच्छिक आत्मसमर्पण/पुनर्ग्रहण से उत्पन्न होने वाले किसी भी अन्य नुकसान के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होंगे। उधारकर्ता उपरोक्त के संबंध में डी.एम.आई. या रिकवरी एजेंट के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

9.8. **मूल्यांकन** : डीएमआई लागू कानून के अनुसार पंजीकृत मूल्यांकक से वाहन का मूल्यांकन प्राप्त करेगा।

9.9. **वाहन की बिक्री** : डीएमआई सुरक्षा/वाहन की बिक्री पूरी करने से पहले उधारकर्ता को कम से कम 48 (अड़तालीस) घंटे पहले सूचना देगा। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि सुरक्षा/वाहन को डीएमआई द्वारा नीलामी, सीमित निविदा, निजी बिक्री और किसी भी शर्त के अधीन बेचा या निपटाया जा सकता है । डी.एम.आई. इसे किसी भी व्यक्ति पर (डी.एम.आई. से जुड़े किसी भी व्यक्ति सहित) लागू करना उचित समझे। डीएमआई ऐसी किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगी जो ऐसी शक्ति के प्रयोग से उत्पन्न हो सकती है और/या किसी नीलामीकर्ता या डीएमआई द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति या निकाय की ओर से किसी कार्य या चूक से उत्पन्न हो सकती है। उधारकर्ता यह भी पुष्टि करता है कि डीएमआई अपनी बिक्री की शक्ति के प्रयोग के अनुसरण में प्राप्त किसी भी धनराशि के लिए उचित छूट देने के लिए अधिकृत है और खरीदार यह पूछने के लिए बाध्य नहीं होगा कि बिक्री की शक्ति यहाँ दिए गए अनुसार उत्पन्न हुई है या नहीं और न ही ऐसी बिक्री की आय के आवेदन के तरीके से चिंतित होगा। उधारकर्ता को जीसी की शर्तों के अनुसरण में किसी भी ऐसी बिक्री/निपटान से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या उसके किसी भी स्थगन के संबंध में डीएमआई और/या उसके नामांकित व्यक्तियों के खिलाफ कोई दावा नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी भी तरह से हुआ हो और चाहे वाहन के पूरे या किसी हिस्से के मोचन, बिक्री या निपटान पर बेहतर कीमत प्राप्त की जा सकती थी या नहीं, ऐसे मोचन/बिक्री की तिथि को स्थगित या आगे बढ़ाकर या अन्यथा किसी भी तरह से।

9.10. **वाहन की रिहाई** : ऋणी वाहन की बिक्री के समापन से पहले किसी भी समय संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके और डिफ़ॉल्ट की घटना/डिफ़ॉल्ट की वित्तीय घटना को पूरा करके वाहन की रिहाई की मांग कर सकता है, जिसमें बिना किसी सीमा के डीएमआई द्वारा डिफ़ॉल्ट की घटना के अनुसार किए गए सभी लागत और व्यय शामिल हैं, डीएमआई की संतुष्टि के लिए। हालाँकि, ऐसी रिहाई डीएमआई के विवेक पर होगी और ऋणी का हक/अधिकार नहीं होगा।

9.11. उधारकर्ता सभी लागतों और खर्चों के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें बिना किसी सीमा के विलंब शुल्क, पार्किंग शुल्क , टोइंग लागत, ब्रोकरेज, कानूनी खर्च (वकील की फीस सहित) शामिल हैं, जो डीएमआई द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग में वहन किए जा सकते हैं, जिसमें बिना किसी सीमा के प्रतिभूति/वाहन का पुनः कब्ज़ा, रखरखाव या बिक्री और दायित्वों की वसूली शामिल है।

9.12. वाहन की बिक्री/निपटान से प्राप्त कोई भी राशि इस जी.सी. के अनुसार बकाया राशि के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी । उधारकर्ता सुरक्षा/वाहन की ऐसी बिक्री/प्राप्ति तथा बकाया राशि के विरुद्ध विनियोजन के परिणामस्वरूप शेष किसी भी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। दायित्वों से अधिक वसूली गई कोई भी राशि (जिसमें बिना किसी सीमा के कोई भी व्यय शामिल है) उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी।

10. हानि से सुरक्षा

10.1. उधारकर्ता डी.एम.आई. के निदेशकों, अधिकारियों, एजेंटों, कर्मचारियों, नियुक्तियों को अपने पास रखेगा

और डी.एम.आई. को क्षतिपूर्ति करेगा। (i) उधारकर्ता द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों के किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले सभी पैसे और नुकसान की भरपाई की ; (ii) वाहन के कब्जे, संचालन और उपयोग/दुरुपयोग से उत्पन्न तीसरे पक्ष की देयता सहित कोई भी देयता (iii) वाहन से संबंधित किसी भी कर की मांग या उधारकर्ता द्वारा इस जीसी और दस्तावेजों और किसी भी अन्य लेखन या दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क का गैर-भुगतान या अपर्याप्त भुगतान जो इस जीसी के अनुसरण में और/या इसके संबंध में निष्पादित किया जा सकता है; और/या (iv) डीएमआई के इस जीसी के तहत वित्तपोषण में पक्ष होने के परिणामस्वरूप । उधारकर्ता इस संबंध में डीएमआई द्वारा मांगी गई किसी भी राशि का भुगतान डीएमआई को , बिना किसी आपत्ति, विरोध, सेट-ऑफ, प्रतिदावे या विवाद के, प्रत्येक ऐसी मांग पर तुरंत करने के लिए सहमत है।

11. डेटा संग्रहण और डेटा साझाकरण

11.1. उधारकर्ता इस प्रकार डीएमआई को वाहन के स्थान से संबंधित वास्तविक समय के आधार पर डीलर या निर्माता से जानकारी एकत्र करने के लिए अधिकृत करता है। उधारकर्ता इस प्रकार डीएमआई, ईवी निर्माता और डीलर (डीएमआई की ओर से) को वाहन या वाहन में स्थापित/स्थापित की जाने वाली ईवी बैटरी (जैसा लागू हो) से ऐसे डेटा एकत्र करने और डीएमआई के साथ ऐसी जानकारी साझा करने के लिए सहमति देता है और अधिकृत करता है।

11.2. उधारकर्ता इस प्रकार स्पष्ट रूप से डीएमआई को किसी तीसरे पक्ष के साथ ऐसी जानकारी साझा करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें बिना किसी सीमा के, उधारकर्ता द्वारा ईपीआई के भुगतान से संबंधित जानकारी शामिल है , जो वाहन में स्थापित / स्थापित की जाने वाली ईवी बैटरियों को समय पर लॉक करने या अनलॉक करने या वाहन को समय पर लॉक करने या अनलॉक करने के लिए ऐसे तीसरे पक्ष को सक्षम करने के लिए आवश्यक हो सकती है, जैसा भी लागू हो।

11.3. उधारकर्ता डीएमआई को सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें आय प्रमाण दस्तावेज, निवास दस्तावेज, पता प्रमाण दस्तावेज, पहचान दस्तावेज और व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी वाले अन्य ऐसे दस्तावेज शामिल हैं जो उनके द्वारा स्वीकृत ऋण प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और वह डीएमआई द्वारा बाद में उन्हें बनाए रखने के लिए भी सहमति देता है ।

11.4. उधारकर्ता डीएमआई को समय-समय पर उधारकर्ता का पैन/पैन कार्ड की प्रति, अन्य पहचान प्रमाण और बैंक खाते का विवरण प्राप्त करने और सीआईबीआईएल, एक्सपेरियन, हंटर रिपोर्ट और ऐसी अन्य रिपोर्ट बनाने/प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है, जैसा कि डीएमआई लागू कानूनों के तहत उचित समझे। उधारकर्ता डीएमआई को आधार ई-केवाईसी या अन्यथा द्वारा अपना केवाईसी सत्यापन करने और आधार ई-केवाईसी सहित ऐसे सत्यापन की प्रक्रिया को विधिवत पूरा करने के लिए अपनी ओर से या अन्यथा आवश्यक सभी कार्रवाई करने और ऐसी जानकारी को किसी भी प्राधिकरण के साथ साझा करने और ऐसी जानकारी को उस तरीके से संग्रहीत करने के लिए अधिकृत करता है, जिसे वह उचित समझे।

11.5. उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि डी.एम.आई. किसी भी डिजिटल ऋण एप्लिकेशन/प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ग्राहक से व्यक्तिगत डेटा एकत्र, संग्रहीत और संसाधित कर सकता है और ऐसा संग्रह, प्रसंस्करण और भंडारण डी.एम.आई. की गोपनीयता नीति और ऐसे व्यक्तिगत डेटा के संग्रह के समय डी.एम.आई. द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसार या लागू कानून के अनुपालन के लिए अन्यथा आवश्यक होगा। उधारकर्ता उपरोक्त के लिए अपनी सहमति देता है।

12. खुलासे

12.1. उधारकर्ता स्वीकार करता है और DMI को उधारकर्ता, स्वीकृत ऋण , भुगतान में चूक, वाहन के विवरण से संबंधित सभी जानकारी और डेटा को ऐसे तृतीय पक्ष/एजेंसियों को प्रकट करने के लिए अधिकृत करता है, जिन्हें DMI स्वीकृत ऋण के संबंध में अपने अधिकारों और उपायों के प्रयोग के लिए प्रकट करना उचित और आवश्यक समझे और/या RBI द्वारा अधिकृत किया जाए, जिसमें ट्रांसयूनियन CIBIL लिमिटेड (" **CIBIL** ") और/या कोई अन्य सरकारी, नियामक, वैधानिक या निजी एजेंसी, संस्था, क्रेडिट ब्यूरो, DMI की अन्य शाखाएं, सहायक कंपनियां, सहयोगी, रेटिंग एजेंसियां, सेवा प्रदाता, आयकर प्राधिकरण, अन्य

बैंक या वित्तीय संस्थान, कोई तीसरा पक्ष, DMI का कोई असाइनी या संभावित या संभावित असाइनी या हस्तांतरित, उधारकर्ता के किसी भी वाहन या संपत्ति के संभावित खरीदार या बोलीदाता शामिल हैं, जिन्हें जानकारी की आवश्यकता हो सकती है । इसके अलावा, डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, डीएमआई और ऐसी एजेंसियों को उधारकर्ता/या उसके निदेशकों/भागीदारों/सह-आवेदकों, जैसा भी लागू हो, का नाम 'डिफॉल्टर' के रूप में ऐसे तरीके से और ऐसे माध्यम से प्रकट करने या प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसे डीएमआई /सीआईबीआईएल/आरबीआई/अन्य अधिकृत एजेंसी अपने पूर्ण विवेक से उचित समझें, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सोशल मीडिया शामिल हैं। उधारकर्ता डीएमआई को अभी या भविष्य में ऐसी जानकारी साझा करने और/या प्रकट करने और उधारकर्ता और/या इसके कारण अन्य को होने वाले किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। उधारकर्ता इस संबंध में मानहानि, गोपनीयता और अनुबंध की निजता के विशेषाधिकार का त्याग करता है। इस खंड के प्रावधान जीसी की समाप्ति और उधारकर्ता के बकाए के पुनर्भुगतान के बाद भी लागू रहेंगे ।

13. शासन कानून और अधिकार क्षेत्र

13.1. यह जी.सी. भारत के कानूनों के अनुसार शासित होगी।

13.2. नई दिल्ली की अदालतों को विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। बशर्ते कि डीएमआई अपने पूर्ण विवेक से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय/न्यायाधिकरण में किसी भी स्थान पर उपरोक्त में से किसी भी मामले से उत्पन्न या उससे संबंधित कोई भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही शुरू कर सकता है और/या शुरू कर सकता है, जिसे डीएमआई उचित समझे और उधारकर्ता ऐसे क्षेत्राधिकार पर आपत्ति नहीं करेगा।

14. मध्यस्थता करना

14.1. इस जी.सी. से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों, मतभेदों और/या दावों का निर्णय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। कार्यवाही अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

14.2. वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित कुछ भी डीएमआई के अधिकारों, उपायों और उनके प्रयोग को सीमित या पूर्वाग्रहित या प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें बिना किसी सीमा के वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 या बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993, या दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 या मध्यस्थ/न्यायालय प्रक्रिया के माध्यम से शामिल है और ऐसे किसी भी मामले में, डीएमआई इस खंड के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकता है।

15. परिसंपत्ति वर्गीकरण

15.1. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार – **भारतीय रिज़र्व बैंक** (" **आरबीआई** ") द्वारा जारी 12 नवंबर, 2021 के स्पष्टीकरण , **समय-समय पर संशोधित किए गए हैं**, डीएमआई, ऋण लेने वाले खातों में प्रारंभिक तनाव को, चूक होने पर तुरंत, **विशेष उल्लेख खातों के** रूप में वर्गीकृत करके पहचान लेगा। (" **एसएमए** ") वर्गीकरण के नीचे उल्लिखित आधार के अनुसार।

15.2. " **अतिदेय तिथि** " इसका तात्पर्य उस तारीख से है जिस दिन उधारकर्ता के खातों को दिन के अंत की प्रक्रिया के भाग के रूप में अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

उदाहरण: यदि ऋण खाते की देय तिथि महीने की 15-मार्च-22 है और कंपनी द्वारा इस तिथि के लिए डे-एंड प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो उधारकर्ता को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा -

ईपीआई की नियत तिथि	**15-मार्च-22**	**देय तिथि से अधिक दिन (DPD)**	**-**
ईपीआई अतिदेय	15-मार्च-22	0-30	एसएमए0
ईपीआई अतिदेय बनी हुई है (दिन के अंत तक प्रक्रिया प्राप्त नहीं हुई)	14-अप्रैल-22	31-60	एसएमए1
ईपीआई का लंबित रहना	14-मई-22	61-90	एसएमए2
ईपीआई का लंबित रहना	13-जून-22	91 और उससे अधिक	एनपीए

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है, जब ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया भुगतान कर दिया गया हो। उधार लेने वाला।

उदाहरण:

विवरण	**परिद्रश्य 1***	**परिदृश्य 2**
ऋण वर्गीकरण	एनपीए	एनपीए
ई पीआई राशि	5,000	5,000
अतिदेय ईपीआई	15,000	15,000
भुगतान प्राप्त	5,000	15,000
शेष अतिदेय ईपीआई	10,000	-
ऋण वर्गीकरण	जब तक संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता, उधारकर्ता को एनपीए के रूप में रिपोर्ट किया जाता रहेगा	मानक

**आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-2022/158 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.85/21.04.048/2021-22 दिनांक 15 फरवरी, 2022 के संदर्भ में, परिदृश्य 1 (एनपीए के रूप में वर्गीकृत को 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है, जब ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया गया हो) 01 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा।*

15.3. **टिप्पणी:**

(a) रिपोर्टिंग अब डीपीडी आधार पर की जाएगी ।

(b) डीएमआई से एक से अधिक ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं के मामले में , सभी ऋणों से संबंधित ब्याज और मूलधन के संपूर्ण बकाया का पुनर्भुगतान करने पर ही ऋण खातों को एनपीए से मानक परिसंपत्ति श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा।

(c) क्रेडिट ब्यूरो द्वारा बनाए गए क्रेडिट स्कोर पर समान प्रभाव पड़ सकता है । इसलिए, डीएमआई सभी उधारकर्ताओं से आग्रह करता है कि वे पुनर्भुगतान अनुसूची में उल्लिखित नियत तिथि के अनुसार अपने ईपीआई का भुगतान करें। इससे क्रेडिट स्कोर में सुधार, दंड से बचने और टॉप-अप ऋण/ऑफ़र के लिए बेहतर पात्रता प्राप्त करने में मदद मिलती है। उधारकर्ता लॉग इन कर सकते हैं https://portal.dmifinance.in/ ईपीआई का भुगतान करने के लिए ।

16. मिश्रित

16.1. उधारकर्ता स्पष्ट रूप से यह मानता और स्वीकार करता है कि डीएमआई के पास स्वीकृत ऋण से संबंधित कोई भी कार्य किसी तीसरे पक्ष को नियुक्त करने और सौंपने की पूरी शक्ति और अधिकार है, जिसमें

सूचना का स्रोत, पहचान और सत्यापन, प्रशासन, निगरानी और संग्रह शामिल है और ऐसे तीसरे पक्ष को उस संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें बिना किसी सीमा के नोटिस भेजना, उधारकर्ता से संपर्क करना, डीएमआई को देय भुगतान के लिए उधारकर्ता से चेक/ड्राफ्ट/अधिदेश प्राप्त करना शामिल है । डीएमआई उधारकर्ता से संबंधित जानकारी (उधारकर्ता के व्यक्तिगत डेटा सहित), स्वीकृत ऋण और वाहन को ऐसे व्यक्तियों के सामने प्रकट करने का हकदार होगा, जो ऐसे व्यक्तियों को डीएमआई द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्यों को करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। उधारकर्ता डीएमआई द्वारा जानकारी के ऐसे प्रकटीकरण और साझा करने के लिए सहमति देता

16.2. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि इस वित्तपोषण लेनदेन से उसके और डीएमआई के बीच देनदार और लेनदार का रिश्ता बनता है, न कि डीएमआई द्वारा दी गई/दी जाने वाली किसी सेवा के संबंध में । तदनुसार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधान इस लेनदेन पर लागू नहीं होंगे।

16.3. **कार्यभार**

ऋणकर्ता वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों और अधिकारों को किसी तीसरे पक्ष को नहीं सौंप सकता है। डीएमआई किसी भी समय और ऋणकर्ता की सहमति या नोटिस के बिना, स्वीकृत ऋण और/या डीएमआई के अधिकारों, ब्याज और दायित्वों के सभी या किसी भी हिस्से को ऐसे व्यक्तियों को और ऐसी शर्तों पर सुरक्षित करने, बेचने, असाइन करने, छूट देने या हस्तांतरित करने का हकदार होगा, जिन्हें डीएमआई उचित समझे। ऐसी कोई भी बिक्री, असाइनमेंट, प्रतिभूतिकरण या हस्तांतरण ऋणकर्ता को निर्णायक रूप से बाध्य करेगा और ऋणकर्ता ऐसे असाइनी या ट्रांसफरी या डीएमआई की ओर से या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति अपने दायित्वों का पालन करेगा और उनके लिए उत्तरदायी होगा।

16.4. **नोटिस**

जी.सी. के संबंध में ऋणी को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस तभी वैध माना जाएगा जब उसे ऋणी को दिया जाए या कूरियर से भेजा जाए या मुख्य तथ्य विवरण में बताए गए ऋणी के पते पर या ऋणी के मौजूदा या अंतिम ज्ञात व्यवसाय या निजी पते पर छोड़ा जाए। कूरियर द्वारा भेजा गया ऐसा कोई भी नोटिस पोस्ट किए जाने के समय से 48 (अड़तालीस) घंटों के भीतर ऋणी को प्राप्त हुआ माना जाएगा।

सुविधा के संबंध में उधारकर्ता को किसी भी शिकायत के लिए, वह मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित विवरण के माध्यम से डीएमआई से संपर्क कर सकता है।

16.5. **संशोधन**

इस जी.सी. में कोई भी परिवर्तन, संशोधन और संशोधन केवल लिखित रूप में किया जाएगा और ऐसे लिखित रूप को सभी पक्षों द्वारा निष्पादित किया जाएगा और इस प्रकार किए गए संशोधन और/या परिवर्तन इस जी.सी. का हिस्सा बनेंगे और इसके नियम लागू सीमा तक इस पर लागू होंगे।

16.6. **स्वीकृत ऋण का रिकॉर्ड**

डीएमआई द्वारा अपने सामान्य कारोबार के दौरान रखे गए स्वीकृत ऋण के अभिलेख, किसी स्पष्ट त्रुटि के अभाव में, किसी भी कानूनी कार्यवाही में दायित्वों के अस्तित्व और राशि के निर्णायक साक्ष्य होंगे और उधारकर्ता इस पर कोई विवाद नहीं करेगा।

16.7. **शिकायत**

कई उदाहरण हो सकते हैं जहाँ उधारकर्ता डीएमआई द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से संतुष्ट नहीं है । ऐसे उदाहरणों को उजागर करने और शिकायत दर्ज करने के लिए उधारकर्ता मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकता है।

17. **स्वीकार**

मैं/हम जानते हैं कि डीएमआई इस नियम एवं शर्त का एक पक्ष बनने के लिए तभी सहमत होगा जब

मैं/हम द्वारा नियम एवं शर्त में भरी गई सभी शर्तों और विवरणों तथा डीएमआई नीति के अनुरूप अन्य वित्तीय दस्तावेजों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लूंगा। मैं/हम सहमत हैं कि यह नियम एवं शर्त समाप्त हो जाएगी और डीएमआई द्वारा इस पर डिजिटल हस्ताक्षर करने पर यह दिल्ली में डीएमआई द्वारा लिखित स्वीकृति की तिथि पर या स्वीकृत ऋण के प्रथम संवितरण की तिथि पर, जो भी पहले हो, कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगी।

किसी भी उपभोक्ता वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीद के उद्देश्य से प्रदान किए गए स्वीकृत ऋण के संबंध में, मैं/हम स्वीकृत ऋण के संबंध में सभी उधारकर्ता बकाए को सुरक्षित करने के लिए डीएमआई के पक्ष में एक सतत सुरक्षा के रूप में वित्तपोषित उत्पाद को बंधक रखते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हम मुख्य तथ्य विवरण में अनुमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए स्वीकृत ऋण का उपयोग नहीं करेंगे और विशेष रूप से (ए) पूंजी बाजारों में किसी भी निवेश के लिए उपयोग नहीं करेंगे, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं (बी) प्राथमिक सोना, सोने की ईंट, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयां या (सी) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य या (डी) किसी भी गतिविधि के लिए जो है कानून द्वारा अवैध या निषिद्ध या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

हस्ताक्षर करके या "मैं स्वीकार करता हूँ"/ई-हस्ताक्षर करके, उधारकर्ता इन नियमों और शर्तों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करता है, और उनकी शर्तों से कानूनी रूप से बाध्य होने के लिए सहमत होता है। उधारकर्ता द्वारा इन नियमों और शर्तों को स्वीकार करने से निम्नलिखित का गठन होगा: (I) उधारकर्ता द्वारा इन नियमों और शर्तों को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और बिना शर्त बाध्य होने की सहमति; और (II) उधारकर्ता द्वारा यह स्वीकारोक्ति और पुष्टि कि इन नियमों और शर्तों (वित्तपोषण दस्तावेजों के साथ) को उधारकर्ता द्वारा विधिवत पढ़ा और पूरी तरह से समझा गया है।

उधारकर्ता घोषणा

पक्ष में :

डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल एक कंपनी है, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अस्तित्व में है, सीआईएन: U65929DL2008PTC182749 भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है और इसका पंजीकृत कार्यालय एक्सप्रेस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002, भारत में है (इसके बाद " **डीएमआई** " के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जो अभिव्यक्ति, जब तक कि यह संदर्भ या उसके अर्थ के विपरीत न हो, इसका मतलब माना जाएगा और इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं)।

जबकि:

1. उधारकर्ता ने वाहन खरीदने के लिए ऋण हेतु डी.एम.आई. से संपर्क किया है (*मुख्य तथ्य विवरण में विवरण दिया गया है*) तथा स्वीकृत ऋण के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेज डी.एम.आई. को उपलब्ध करा दिए हैं (*मुख्य तथ्य विवरण में विवरण दिया गया है*)।
2. डीएमआई, उधारकर्ता के अनुरोध पर, उधारकर्ता को नीचे उल्लिखित नियमों और शर्तों पर स्वीकृत ऋण देने के लिए सहमत हो गया है।
3. ऋणकर्ता ने इस घोषणापत्र और अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्धारित शर्तों के अनुसार डीएमआई के पक्ष में वाहन को गिरवी रखने पर सहमति व्यक्त की है।

घोषणा

1. ऋणकर्ता इस प्रकार दायित्वों के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए डीएमआई के पक्ष में प्रथम, अनन्य और निरंतर प्रभार के आधार पर वाहन को बंधक रखता है, जब तक कि डीएमआई की संतुष्टि के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार सभी दायित्वों का भुगतान नहीं हो जाता। बनाई गई सुरक्षा ऋणकर्ता की दिवालियापन या मृत्यु से प्रभावित, क्षतिग्रस्त या समाप्त नहीं होगी।
2. इस घोषणा को जी.सी. के साथ पढ़ा जाएगा तथा इस घोषणा में प्रयुक्त कोई भी बड़े अक्षर वाला शब्द, जो इसमें परिभाषित नहीं है, उसका वही अर्थ होगा जो जी.सी. में ऐसे शब्द के लिए निर्दिष्ट है।

जिसके साक्ष्य में, पक्षकारों ने इस घोषणा को उस तारीख को निष्पादित किया है जिस दिन इस पर अंतिम बार हस्ताक्षर किए गए थे।

_____

उधार लेने वाला:

तारीख:

जगह:

अनुलग्नक-ए

मुख्य तथ्य कथन

दिनांक: [●] **विनियमित इकाई का नाम** **ऋण संदर्भ**
संख्या: डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

आवेदक का नाम:

क्रमांक I	**पैरामीटर**	**विवरण**
1	ऋण का प्रकार और उद्देश्य ऋण का उपयोग केवल इस मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाएगा और विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा: (ए) पूंजी बाजार में कोई भी निवेश, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं; या (बी) प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयों और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद; या (सी) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य; या (डी) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध है या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है।	उपभोक्ता ऋण ईवी वाहन की खरीद (जिसका विवरण नीचे दिया गया है)
2	स्वीकृत ऋण	
3	वाहन की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान	[●]
4	संवितरण अनुसूची (i) चरणबद्ध तरीके से या 100% अग्रिम भुगतान। (ii) यदि यह चरणवार है, तो ऋण की शर्त का उल्लेख करें प्रासंगिक विवरण वाला समझौता	100% अग्रिम
5	ऋण अवधि (वर्ष/महीने/दिन)	महीने
6	किस्त का विवरण	
एक।	किस्त का प्रकार	महीने के
बी।	ईपीआई की संख्या	
सी।	ईपीआई राशि	
डी।	स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत	DDMMYYYY
7	ब्याज दर % [1]और प्रकार (घटती शेष राशि पर निश्चित)	% प्रतिवर्ष
8	ऋण की पूरी अवधि के दौरान लगाया गया कुल ब्याज (रुपये में)	
9	**शुल्क/प्रभार** , (यदि कोई हो) (प्रत्येक घटक का विवरण नीचे दिया जाएगा) (रुपये में)	ए+बी+सी
ए	प्रसंस्करण शुल्क (जीएसटी सहित), यदि कोई हो (रुपये में) (एक बार)	
बी	बीमा (जीएसटी सहित) (रुपये में) (एक बार)	
सी	कोई अन्य शुल्क (जीएसटी सहित) (यदि कोई हो) (रुपये में) (एक बार)	
10	शुद्ध वितरित राशि (रुपये में)	
11	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (रुपये में)	
12	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) %	%

[1] जोखिम के वर्गीकरण के लिए ऋणदाता के दृष्टिकोण और विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं से अलग-अलग ब्याज दर वसूलने के औचित्य को समझने के लिए, कृपया https://www.dmifinance.in/investor-relations/policies/ पर उपलब्ध ब्याज दर और शुल्क पर ऋणदाता की नीति देखें।

13	ऋण भुगतान का तरीका	अधिदेश
14	उत्पाद मॉडल	
15	उत्पाद का प्रकार	
16	उत्पाद चेसिस सीरियल नंबर	
17	उत्पाद इंजन सीरियल नंबर	
18	ईवी निर्माता विवरण	
आकस्मिक शुल्क के बारे में विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)		
19	विलंबित भुगतान शुल्क - 550 रुपये + जीएसटी	
20	पूर्व-भुगतान शुल्क: **1.5% + प्रीपेड मूलधन पर जीएसटी**	
21	**अतिदेय शुल्क -** 2% प्रति माह + अतिदेय राशि पर जीएसटी ***ईपीआई का देय तिथि पर भुगतान न करना)***	
22	अन्य शुल्क (वैकल्पिक मोड/गैर-नच के लिए लागू) - 30 रुपये तक + जीएसटी	
23	NACH अस्वीकृति शुल्क - INR 500 + जीएसटी	
24	**डिजिटल ऋण के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं:**	
(ए)	डीएमआई की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।	**5 दिन**
(बी)	वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले तथा उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण	**ना**
(सी)	वसूली के अलावा ऋण संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले एलएसपी/सोर्सिंग पार्टनर/चैनल का नाम (अर्थात सोर्सिंग, मार्केटिंग आदि)	**टर्नो**
25	का खंड / वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित सामान्य नियम और शर्तें	**खंड 16.1**
26	ऋण समझौते का खंड /सामान्य नियम और शर्तें जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का विवरण दिया गया है	**धारा 16.4**
27	क्या ऋण अन्य विनियमित संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है या भविष्य में किया जा सकता है - (हां/नहीं)	**हाँ**
28	**गोपनीयता नीति** - https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/	
29	**फिनटेक/डिजिटल ऋण संबंधी शिकायतों/मुद्दों से निपटने के लिए विशेष रूप से नामित नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी –** **शिकायत निवारण अधिकारी (उपभोक्ता ऋण)** नाम- आशीष सरीन पद- वरिष्ठ उपाध्यक्ष - ग्राहक सफलता ईमेल पता: head.services@dmifinance.in/ Grievence@dmifinance.in पता: एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 संपर्क नंबर: 011-41204444 https://www.dmifinance.in/fair-practice/	

* आकस्मिक शुल्क कंपनी की नीति के आधार पर बदला जा सकता है

ऋण की अवधि के दौरान लिया जाने वाला कुल ब्याज, प्रसंस्करण शुल्क, वितरित की गई कुल राशि और देय कुल राशि में परिवर्तन हो सकता है, यदि वितरण की तिथि इस KFS की स्वीकृति/जारी करने की तिथि से बाद की है। इसके परिणामस्वरूप APR में भी वृद्धि हो सकती है, लेकिन APR को DMI की आंतरिक नीति के अनुसार सीमित किया जाएगा। अपडेट किया गया KFS जारी किया जाएगा और स्वागत पत्र के साथ उधारकर्ता के साथ साझा किया जाएगा। DMI के पास ऋण स्वीकृति को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित है, यदि ऐसा कोई परिवर्तन DMI की

आंतरिक नीति दिशानिर्देशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होता है।

टिप्पणी

मैं/हम ("उधारकर्ता") इस मुख्य तथ्य विवरण की प्राप्ति की पुष्टि करते हैं और मेरी/हमारी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि उपरोक्त शर्तों पर डीएमआई द्वारा प्रदान किया गया ऋण स्वीकृति पत्र, ऋण की सामान्य नियम और शर्तें, यह मुख्य तथ्य विवरण, ऋण आवेदन जिसमें इसके अनुलग्नक शामिल हैं और मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित या डीएमआई द्वारा आवश्यक किसी भी दस्तावेज़, समय-समय पर संशोधित ("वित्तपोषण दस्तावेज़") द्वारा शासित होगा।

ऋणकर्ता वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों से कानूनी रूप से बंधे होने के लिए सहमत है। मैं/हम समझते हैं कि मेरी/हमारी स्वीकृति में शामिल होगा: (i) वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और बिना शर्त बाध्य होने की मेरी/हमारी सहमति; और (ii) ऋणकर्ता की स्वीकृति और पुष्टि कि इस मुख्य तथ्य कथन (अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों के साथ) को ऋणकर्ता द्वारा विधिवत पढ़ा गया है और ऋणकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में पूरी तरह से समझा गया है।
मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हम स्वीकृत ऋण का उपयोग इस मुख्य तथ्य कथन में अनुमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे और विशेष रूप से इसका उपयोग (क) पूंजी बाजार में किसी भी निवेश के लिए नहीं करेंगे, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं (ख) किसी भी रूप में सोने की खरीद, जिसमें प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयां शामिल हैं या (ग) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य या (घ) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध है या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

उपभवन बी

गणना का अप्रैल उपभोक्ता के लिए ऋण

सीनियर नहीं।	पैरामीटर	विवरण
1	स्वीकृत ऋण मात्रा (में रुपए) (धारावाहिक नहीं। 2 का केएफएस टेम्पलेट – अनुलग्नक ए)	20,000
2	ऋण अवधि (महीनों में) (क्रमांक 5 केएफएस टेम्पलेट का प्रारूप – अनुलग्नक ए)	24
ए)	नहीं। का किश्तों के लिए भुगतान का प्रधानाचार्य, में मामला का गैर-समतुल्य आवधिक ऋण	-
बी)	प्रकार का ईपीआई (उधारकर्ता की पुनर्भुगतान आवृत्ति) मात्रा का प्रत्येक एपि (में रुपए) और संख्या का ईपीआई (उदाहरण, नहीं। का ईएमआई में मामला का मासिक किस्तें) (धारावाहिक नहीं। 6ए, 6बी और 6सी का केएफएस खाका – अनुलग्नक ए)	महीने के 970 24
सी)	नहीं। का किश्तों के लिए भुगतान का बड़ा कर दिया है दिलचस्पी, अगर कोई	-
डी)	प्रारंभ का पुनर्भुगतान, डाक प्रतिबंध (धारावाहिक नहीं। केएफएस टेम्पलेट का 6डी – अनुलग्नक ए)	DDMMYYYY
3	दिलचस्पी दर प्रकार (धारावाहिक नहीं। 7 का केएफएस टेम्पलेट – अनुलग्नक ए)	घटती शेष राशि के आधार पर तय
4	दर का ब्याज (सीरियल संख्या 7 केएफएस खाका – अनुलग्नक ए)	15 % प्रतिवर्ष
5	कुल दिलचस्पी मात्रा को होना आरोप लगाया दौरान पूरा संवितरण तिथि पर प्रचलित दर के अनुसार ऋण की अवधि (रुपये में) (धारावाहिक नहीं। 8 का केएफएस खाका – भाग अनुलग्नक ए)	3,274
6	शुल्क/ प्रभार देय (में रुपए)	240
ए	देय को दोबारा (धारावाहिक संख्या 9ए, 9बी और 9 सी केएफएस टेम्पलेट- भाग अनुलग्नक ए)	240
बी	RE के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	0
7	जाल वितरित मात्रा (धारावाहिक नं 2 - धारावाहिक नं 9 केएफएस टेम्पलेट – अनुलग्नक ए)) (में रुपए)	19,600
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (क्रमिक किस्तों का योग) नंबर 2 और सीरियल नं 8 केएफएस टेम्पलेट – अनुलग्नक ए) (रुपये में)	23,274
9	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 12 - भाग अनुलग्नक ए)	17.07%
10	अनुसूची का अदायगी जैसा प्रति शर्तें और स्थितियाँ	100% अग्रिम
11	देय तारीख का भुगतान का किस्त और ब्याज	हर महीने की 05 तारीख

- विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची के अंतर्गत दी गई किश्तों के योग से गणना की गई पुनर्भुगतान राशि में अंतर (यदि कोई हो) ऊपर उल्लिखित राशि की तुलना में विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची के अंतर्गत किश्त राशि को पूर्णांकित करने के कारण हो सकता है।
- एपीआर की गणना आईआरआर दृष्टिकोण और घटती शेष राशि पद्धति का उपयोग करके शुद्ध वितरित राशि पर की जाती है।
- इस ऋण पर लागू शुल्क और कटौती आवेदन पत्र में उल्लिखित हैं और मुझे विधिवत समझा दी गई हैं।

उपभवन सी

वापसी अनुसूची अंतर्गत समान सामयिक किस्त के लिए ऋण

किस्त सं.	प्रारंभिक असाधारण प्रधानाचार्य शेष राशि (इंच में) रुपए)	प्रधानाचार्य (रुपये में)	दिलचस्पी (रुपये में)	खंडित अवधि ब्याज	किस्त (रुपये में)	समापन असाधारण प्रधानाचार्य शेष राशि (इंच में) रुपए)